फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जवानमल वगैरह बनाम श्रीमति शांतिदेवी वगैरह

किस्म मुकदमा .....225 .आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या 34 ..सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 41/2003 बउनवान कन्हैयालाल वगैरह बनाम शांतिदेवी वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर के खाता संख्या 38 खसरा नंबर 490, 491, 492, 493 एवं 501 के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2020 को प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के विशेष हिस्से को बेचान नहीं किये	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने हेतु पाबंद किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये एवं तब तक अंतरिम व्यादेश आगामी पेशियो तक बढाया गया। उसके पश्चात दिनांक 09.02.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 01, 05, 06 व 08 का जवाब बंद किया गया एवं शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे, जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 12.04.2023 को बिना अपीलांट को सुने जैर अपील आदेश के जरिये पूर्व मे पारित आदेश को आगे नही बढाया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त शामलती कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कराये बिना बेचान करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की फोटोप्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर के खाता संख्या 38 खसरा नंबर 490, 491, 492, 493 एवं 501 के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2020 को प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के विशेष हिस्से को बेचान नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील आदेश के जरिये पूर्व मे पारित स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल बंटवाडे का वाद एंव अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 04.07.2023 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल बंटवाडे का वाद विचाराधीन रहते हुए अगर वादग्रस्त आराजी के किसी विशेष भू–भाग का बेचान किया जाता है तो इससे निश्चय ही वाद–बाहुल्यता बढेगी, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसे रोका जाना आवश्यक है। अत प्रकरण में उभयपक्षो को पाबंद किया जाता है कि वे हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर के खाता संख्या 38 खसरा नंबर 490, 491, 492, 493 एवं 501 पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके अतिरिक्त प्रकरण से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलक्टर सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 41/2003 बउनवान कन्हैयालाल वगैरह बनाम शांतिदेवी वगैरह के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 01 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली